# न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी–देवेन्द्र कुमार
आई0ए0एस0

नामा0 अपील सं0 12/2024

ओमप्रकाश पुत्र श्रीनारायण जाति मीना निवासी छारेडा तहसील नांगल राजावतान जिला दौसा
......अपीलांट

बनाम

1. धन्ना पुत्र लोहड्या (फौत)
   1/1 कन्हैयालाल पुत्र स्व. धन्ना
   1/2 कैलाश पुत्र स्व. धन्ना
   1/3 जगन्नाथ पुत्र स्व. धन्ना
   1/4 गंगासहाय पुत्र स्व. धन्ना
   1/5 बाबूलाल पुत्र स्व. धन्ना
2. नानगा पुत्र लोहड्या (फौत)
   2/1 जगदीश पुत्र स्व. नानगा
   2/2 गोपाल पुत्र स्व. नानगा
   2/3 शम्भूदयाल पुत्र स्व. नानगा
3. रामनाथ पुत्र अर्जुन (फौत)
   3/1 रामप्रसाद पुत्र स्व0 रामनाथ
4. श्रवण पुत्र लोहड्या (फौत)
   4/1 अर्जुन पुत्र स्व. श्रवण
   4/2 सांवलराम पुत्र स्व. श्रवण
   4/3 भोमा पुत्र स्व. श्रवण
   4/4 बसन्ता पुत्र स्व. श्रवण
   4/5 मोती पुत्र स्व. श्रवण
5. प्रहलाद पुत्र श्रीनारायण
6. जगदीश पुत्र श्रीनारायण
   समस्त जाति मीना निवासी छारेडा तहसील नांगल राजावतान जिला दौसा
7. गोपाली पुत्री श्रीनारायण पत्नि रामखिलाडी जाति मीना निवासी छारेडा तहसील नांगल राजावतान हाल निवासी किशनपुरा तहसील बस्सी जिला जयपुर
8. गोपाली पुत्री श्रीनारायण पत्नि फैलीराम जाति मीना निवासी छारेडा तहसील नांगल राजावतान हाल निवासी झर तहसील बस्सी जिला जयपुर
9. ज्ञानी पुत्री श्रीनारायण पत्नि छीतर
10. लल्ली पुत्री श्रीनारायण पत्नि राजेश
    जाति मीना निवासी छारेडा तहसील नांगल राजावतान हाल निवासी अपरेटा तहसील बस्सी जिला जयपुर
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नांगल [illegible] जिला दौसा

.....रेस्पों.

अपील विरूद्ध नामान्तरण सं0 [illegible] तस्दीक तहसीलदार नांगल राजावतान दिनांक 5.2.2024

उपस्थित–1. श्री जितेन्द्र कुमार शर्मा, अधि[illegible] अपीलांट।
2. श्री राजेश कुमार शर्मा राजकीय अधिवक्ता,

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 11:42:20 IST
Reason: SelfAttested

Web Copy - Not Official

74
जिला कलेक्टर,दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

## निर्णय

दिनांक: 30.5.2025

1. संक्षिप्त वृतांत अपील इस प्रकार है कि तहसीलदार, नांगल राजावतान जिला दौसा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 5.2.2024 ग्राम छारेडा का नामान्तरण सं0 2094 से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।
2. अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट को तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख मंगवाया गया। रेस्पों0 सं0 1 से 10 के बाद तामील अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। अधिवक्ता अपीलांट व राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गई।
3. सर्वप्रथम दफा 5 कानून मियाद के प्रार्थना पत्र पर बहस अधिवक्ता अपीलांट व राजकीय अधिवक्ता की सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट ने बहस में दलील दी कि तहसीलदार नांगल राजावतान द्वारा पारित आदेश की जानकारी पूर्व में अपीलांट को नहीं थी। उक्त नामान्तरण की जानकारी दिनांक 30.4.2024 को पटवारी हल्का के बताने पर हुई। जिसकी नकल दिनांक 2.5.2024 को प्राप्त हुई। अपील जानकारी से अंदर मियाद प्रस्तुत की जा रही है। अतः अपील पेश करने में हुई देरी को क्षमा कर अपील अंदर मियाद शुमार फरमाई जावे। राजकीय अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि अपीलांट ने 30 दिवस से विलंब से अपील पेश की गई है। अपीलांट को उक्त नामान्तरण की पूर्व से जानकारी थी। अतः अपील मियाद के बिन्दु पर खारिज फरमाई जावे। राजकीय अधिवक्ता व अधिवक्ता अपीलांट की दफा 05 के प्रा.पत्र पर सुनी गई बहस पर मनन किया गया। प्रा0पत्र एवं शपथ पत्र का अवलोकन किया गया। अपीलांट द्वारा अपील जानकारी से अंदर मियाद पेश की गई है। डिले कन्डोन किया जाकर अपील की सुनवाई किया जाना न्यायोचित है। अतः धारा 5 कानून मियाद स्वीकार किया जाता है।
4. तत्पश्चात मूल अपील पर अधिवक्ता अपीलांट व राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में दलील दी कि अपीलांट के पिता श्रीनारायण द्वारा सहायक कलक्टर दौसा की न्यायालय में एक वाद सं0 17/990 दावा उद्घोषणा स्थाई निषेधाज्ञा व दुरूस्ती इन्द्राज का प्रस्तुत किया गया था जिसका निस्तारण दिनांक 31.3.1990 को सहायक कलक्टर दौसा द्वारा अपीलांट के पिता के पक्ष में निर्णय पारित किया गया था तथा विवादित भूमि खसरा नंबर 3189 से 3194 ग्राम छारेडा का काश्तकार घोषित किया गया था तथा उक्त भूमि की खातेदारी अपीलांट के पूर्वज श्रीनारायण के नाम दर्ज थी। उक्त निर्णय व डिक्री के विरूद्ध एक प्रार्थना पत्र आर्डर 09 रूल 13 प्रस्तुत की गई जिस पर निर्णय व डिक्री को अपास्त करते हुए पुनः निर्णय पारित करने हेतु आदेशित किया गया जिसमें अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर दौसा के न्यायालय में कार्यवाही चली परन्तु उक्त वाद साक्ष्य के अभाव में खारिज फरमा दिया जिसका मुकदमा नं0 345/97 है जो अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज फरमा दिया गया तथा रेस्पों0 सं0 01 से 04 द्वारा उक्त निर्णय की पालना में तहसीलदार व राजस्व कर्मचारियों से साज कर बिना अपीलांट जो कि श्रीनारायण के वारिस है, को सुनवाई का मौका दिये बगैर ही नामान्तरण सं0 2094 दिनांक 30.1.2024 को तस्दीक कर दिया व रेस्पों0 सं0 01 से 4 के नाम खातेदारी दर्ज कर दी व मृतक श्रीनारायण पुत्र रामचन्द्र हिस्सा 1/6 कर नाम भी नामान्तरण में दर्ज कर दिया [illegible] श्रीनारायण का स्वर्गवास दिनांक 17.10.2010 को हो गया फिर भी अधीनस्थ [illegible] श्रीनारायण के पक्ष में भी नामान्तरण तस्दीक किया गया है जो [illegible] क्योंकि मृत व्यक्ति के विरूद्ध न तो नामान्तरण तस्दीक किया जा सकता था और न ही मृत व्यक्ति के नाम खातेदारी दर्ज की जा सकती थी। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व नामान्तरण खिलाफ कानून नियम उप

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 11:42:20 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर, दौसा

नियम व पत्रावली तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने मृत व्यक्ति के पक्ष में नामान्तरण तस्दीक किया गया है जो गैर कानूनी है क्योंकि श्रीनारायण पुत्र रामचन्द्र का स्वर्गवास वर्ष 2010 में ही हो गया था तो वर्ष 2024 में मृत व्यक्ति के पक्ष में कैसे तस्दीक किया गया। इससे स्पष्ट प्रमाण है कि तहसीलदार ने बिना मृतक के वारिसान को सूचना व सुनवाई का अवसर दिये बगैर ही अवैध रूप से नामान्तरण तस्दीक किया गया है जो प्रथम दृष्टया ही अवैधानिक होने से निरस्त योग्य है। अपीलांट को वाद सं0 17/90 व 345/97 के संबंध में खारिज हाने की कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि उक्त वाद में अपीलांट पक्षकार नहीं थे तथा वाद के खारिज होने के संबंध में कोई जानकारी नहीं थी। अपीलांट को जानकारी होने पर बाज दायरी का प्रार्थना पत्र सक्षम न्यायालय में पेश किया जा रहा है। अपीलांट मृतक श्रीनारायण पुत्र रामचन्द्र के वारिस व उत्तराधिकारी है, उनको बिना सुनवाई का अवसर दिये बिना ना तो कोई कार्यवाही की जा सकती थी, ना ही नामान्तरण तस्दीक किया जा सकता था। इसलिए भी प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के अनुसार पीडित पक्ष व खातेदार को सुने बगैर नामान्तरण की कार्यवाही नहीं की जा सकती थी। इसके बावजूद भी अधीनस्थ तहसीलदार ने कानून विरूद्ध व नियमों के विपरीत जाकर नामान्तरण तस्दीक किया गया है जो निरस्त योग्य है। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार फरमाई जाकर नामान्तरण सं0 2094 वाके ग्राम छारेडा दिनांक 31.1.2024 निरस्त फरमाया जाकर तहसीलदार नांगल राजावतान को नामान्तरण इस निर्देश के साथ रिमांड किया जावे कि वे अपीलांट को पूर्ण सुनवाई व सबूत का मौका देकर पुनः विधि सम्मत निर्णय करे व नामान्तरण स्वीकार करें। अधिवक्ता अपीलांट ने अपने तर्कों के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त 1. आरआरटी 2021(2)पेज 1026, 2. आरबीजे 2023 पेज 286, 3. आरआरटी 2017(2) पेज 1047, 4. आरबीजे 2022 पेज 42, 5. आरआरटी 2024(2) पेज 792, 6. आरआरटी 2024(2) पेज 1389 की प्रतियां प्रस्तुत की गई।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

5. राजकीय अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि तहसीलदार नांगल राजावतान के द्वारा पारित आदेश जो कि नामान्तरण सं0 2094 पर पारित किया गया है वह पूर्णतया विधि के प्रावधानों के तहत किया गया है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज फरमाई जावे।
6. हमने पत्रावली एवं न्यायिक दृष्टान्तों का अवलोकन किया गया। अधिवक्ता अपीलांट व राजकीय अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया।
7. प्रकरण में विवाद नामान्तरण सं0 2094 दिनांक 31.1.2024 के संबंध में है जिसमें उनके द्वारा श्रीनारायण जिनकी मृत्यु दिनांक 17.10.2010 को हो जाने के उपरांत भी 31.1.2024 को जब नामान्तरण खोला गया जब मृत व्यक्ति के पक्ष में खोल दिया गया। हमने प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मृत्यु प्रमाण पत्र का अवलोकन किया गया जिसमें श्रीनारायण पुत्र रामचन्द्र मीणा की मृत्यु दिनांक 17.10.2010 को होना जाहिर है। हमने तहसीलदार नांगल राजावतान द्वारा तस्दीक किये गये नामान्तरण का अवलोकन किया गया जिसमें पटवारी की रिपोर्ट इस प्रकार है:— " श्रीमानजी मुताबिक न्यायालय आदेश के अनुसार नामान्तरण दर्ज कर वास्ते जांच एवं आदेशार्थ प्रस्तुत है।" एवं राजस्व अधिकारी की रिपोर्ट इस प्रकार है:— "पटवारी की रिपोर्ट के अनुसार नामान्तरण स्वीकार किया जाता है।" जिसको कि इस रिपोर्ट को नायब तहसीलदार द्वारा स्वीकार किया गया है। अतः स्पष्ट है कि यह नामान्तरण न्यायालय आदेश की अनुपालना में खोला गया है। इसके साथ यह भी तथ्य स्पष्ट है किब श्रीनारायण का स्वर्गवस दिनांक 17.10.2010 को हो गया एवं इसके बाद भी नामान्तरण मृत व्यक्ति के पक्ष में दिनांक 31.1.2024 को खोल दिया गया जो कि विधिसम्मत नहीं है। अतः नामान्तरण संख्या 2094 दिनांक 31.1.2024 को निरस्त किया जाता है एवं इस आशय के साथ रिमांड किया जाता है कि तहसीलदार नांगल राजावतान उक्त विवादित आराजी के संबंध में विभिन्न न्यायिक आदेशों का अवलोकन कर एवं उन आदेशों की पालना करते समय

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 11:42:20 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर दौसा

इस बिन्दु का विशेष ध्यान रखे कि उक्त आदेश में वर्णित यदि किसी पक्षकार की मृत्यु हो गई हो तो उनके विधिक वारिसान को सुना जाकर विधिसम्मत निर्णय पारित करें।

8. अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ठ लेख भंडार हो।

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलेक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांकः 30 मई, 2025 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया। इस निर्णय की अपील नियत समयावधि के अंदर सक्षम न्यायालय में की जा सकेगी।

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलेक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified

Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 11:42:20 IST
Reason: SelfAttested